

सेवामें
इन्द्राज दुरुस्ती
(देखिये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय


गंगापूर सिटी


कॉपी राखें
7-11-25

महोदय

विषय: जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम सहजपुर के खाता संख्या 89
में इन्द्राज दुरुस्ती सुबत ।
प्रार्थी: - श्री प्रभुलाल पुत्र सावल्या जाति-बैरवा निवास्तहजपुर

मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम सहजपुर के खाता संख्या 89 में प्रार्थी की पिता, माता का नाम/जाति/हिस्सा चमार अंकित है। अंकित प्रविष्टि के स्थान पर प्रार्थी पिता, माता का नाम/जाति/ हिस्सा बैरवा शुद्ध करवाना चाहता है । हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली गई है, मुताबिक संलग्न दस्तावेज व शपथपत्र गवाहान के आधार पर प्रार्थी के पिता, माता का नाम/जाति/हिस्सा बैरवा दर्ज किया जाना उचित है ।


हस्ताक्षर भू.अभि. निरीक्षक


हस्ताक्षर मुख्या
तहसील गंगापूर सिटी

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) गंगापूर सिटी


क्रमांक 5248

दिनांक 6-11-25

7141

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापूर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि मुताबिक रिकार्ड प्रविष्टि जाति- चमार दर्ज है। जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान के आधार पर इसके स्थान पर जाति- बैरवा दर्ज कराने की अभिशंषा की जाती है ।

17-11-25


तहसीलदार(भू.अ.)
गंगापूर सिटी (संभा०)


5248/167
17-11-25

न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी

दिनांक

क्रमांक प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थनापत्र एवं जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान व तहसीलदार गंगापूर सिटी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण में ग्राम सहजपुर तहसील गंगापूर सिटी जिला सवाईमाधोपुर की जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 में खाता संख्या 89 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि जाति- चमार के स्थान पर जाति- बैरवा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किये जाते हैं ।

2020
548


उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर सिटी (राज०)

